अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2018(RCMS: 2018/00086) अनवानी श्री मनीष मुंजाल निवासी रवि चौक, वार्ड न04, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–06–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनीष मुंजाल स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। जिला रसद अधिकारी का जवाब प्राप्त हो चुका है, शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया अपीलार्थी श्री मनीष मुंजाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है वह सही नही है। इस प्रकार उसके चाहे अनुसार वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः वांछित सूचना निःशुल्क उपलबध करवाई जावे तथा दोषी पर 250/– प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. श्री सन्दीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 2013 में गंगानगर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. 100 नई धान मण्डी श्रीगंगानगर के नियन्त्रित मूल्य के गेंहू प्रकरण की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि मय संलग्न दस्तावेज।
2. उक्त जांच रिर्पोट पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही के ब्यौरे की प्रमाणित प्रतिलिपि मय नोटशीट।

शा०/-

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 05.03.2018 को निम्न उत्तर दिया गया :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आप द्वारा निम्न सूचनाएं चाही गईहै :
>
> 1. श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 2013 में गंगानगर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. 100 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर के नियंत्रित मूल्य के गेंहू प्रकरण की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि मय संलग्न दस्तावेज।
> 2. उक्त जांच रिपोर्ट पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वार की गयी कार्यवाही के ब्यौरे की प्रमाणित प्रतिलिपि मय नोटशीट।
>
> अतः आप द्वारा चाही गई सूचना की जांच विचाराधीन है। अतः कार्यवाही पूर्ण होने तक सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।
>
> इस सम्बन्ध में आपकों कोई उज हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, महोदय को अपील कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को इस आधार पर सूचना नहीं दी गई है क्योंकि मामले में जांच विचाराधीन है। इसलिए **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त** उत्तर दिनांक **05.03.2018 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक**ता प्रतीत **नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर